न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
064/2021 **(GCMS 2021/64)**	**27.07.2021**	**27.07.2021**

अनवान

लालाराम पिता मांगीलाल जाति सेन उम्र 30 वर्ष निवासी तुरकिया कलां ग्राम पंचायत तुरकिया खुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ (राज.)च 9680636270

निगराकार

बनाम

1. ग्राम पंचायत तुरकिया खुर्द जरिये सरपंच ग्राम पंचायत तुरकिया खुर्द पंचायत समिति कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. ग्राम पंचायत तुरकिया खुर्द जरिये सचिव ग्राम पंचायत तुरकिया खुर्द पंचायत समिति कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
3. विकास अधिकारी महोदय, पंचायत समिति कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

गैर निगराकार

–:: निगरानी विरूद्ध ग्राम पंचायत तुर्किया खुर्द नोटिस क्रमांक .... दिनांक 22.06.2021 ::–

उपस्थिति :– श्री कालुराम सोनी, श्री कैलाशचन्द्र रेगर — निगराकार

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगराकार ने एक निगरानी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम 1994 के विरूद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम तुरकिया कलां पटवार हल्का तुरकिया कलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ में निगराकार के हक अधिकार एवं कब्जेशुदा पैतृक पुश्तैनी भूखण्ड जिस पर भवन निर्माण करा रखा है जिसके खुली जगह उत्तर दिशा की ओर स्थित है जिस पर निगराकार के पूर्वजों ने बरसो पूर्व टेंक बना रखा है। गैर निगराकार सरपंच द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर आपसी द्वेषतावश दिनांक 22.06.2021 को नोटिस

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निगराकार को बिना क्रमांक का जारी किया जिस पर ग्राम पंचायत तुरकिया खुर्द के ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं एवं उक्त जमीन पर कब्जा/निर्माण किया जा रहा हैं जो अतिक्रमण की श्रेणी में है इस सम्बन्ध में अपने प्रमाण पेश करें अन्यथा आपके विरूद्ध कार्यवाही की जावेगीं, उक्त नोटिस का जवाब लेकर निगराकार ग्राम पंचायत तुरकिया खुर्द में गया तो तुरकिया खुर्द ने निगराकार द्वारा दिये गये जवाब एवं प्रार्थी के पुरखों द्वारा उक्त भूखण्ड खरीदी के दस्तावेज को लेने से इन्कार कर दिया एवं स्पष्ट रूप से कह दिया की आपके द्वारा जो निर्माण किया जा रहा हैं उसे तो तुडवाकर रहेगें निगराकार के कहने पर की टैंक बरसो पूर्व निर्मित हैं, कोई नव निर्माण नहीं किया जा रहा हैं तो ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा कहा गया की हम तो आप से द्वैषता रखते है जिसका परिणाम आपको भूगतना पड़ेगा। निगराकार द्वारा मौके की स्थिति को स्पष्ट करने के लिये नजरी नक्शा निगरानी के साथ मय पडौसान पेश किया जा रहा हैं जिसे निगरानी का अभिन्न अंग माना जावे। निगराकार के पुर्वजों द्वारा मकान/भूखण्ड के पास खाली पडी जमीन जो निगराकार के मकान से लगती हुई उत्तर दिशा की ओर जिस पर निगराकार द्वारा वर्षो पूर्व टैंक निर्मित कर उपयोग-उपभोग में लिया जा रहा हैं, किन्तु ग्राम पचायत द्वारा धमकी भरे नोटिस देने के पश्चात निगराकार ने मजबूर होकर न्यायालय की शरण लेनी चाही एवं पंचायती राज अधिनियम की धारा 109 के तहत अपने अधिवक्ता के जरिये पंजीकृत सूचनापत्र ग्राम पंचायत तुरकिया कलां जरिये सरंपच एवं जरिये ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को प्रेषित कर निवेदन किया की दौराने पंचायत राज अधिनियम की धारा 109 में वाद पेश करने की मियाद अवधि 60 दिवस के भीतर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही उक्त जमीन को अवैध अतिक्रमण में बताकर नहीं करें नोटिस अवधि पूर्ण होने पर आपके विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश करना पड़ेगा पडौसान निम्न है जो नजरी नक्शे में स्पष्ट अंकित है। पूर्व मे शंकर लाल पिता छोगा जाट का मकान, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में आम रास्ता एवं दक्षिण में भाई नन्दराम पिता मांगीलाल का हिस्सा। निगराकार के पूर्वजों द्वारा खरीदी हुई व वर्तमान में निगराकार के कब्जे शुदा मकान के उत्तर दिशा की ओर खाली पड़ी जमीन पर निगराकार काफी बरसों से काबिज हो उपयोग-उपभोग में लेता चला आ रहा हैं व टैंक निर्मित बरसों पूर्व करा रखा हैं निगराकार के खुली जगह जहां टैंक निर्मित करा रखा हैं के पूर्व दिशा की और शंकर लाल पिता छोगा जी जाट का मकान स्थित है। शंकर लाल जी द्वारा भी बरसों पूर्व उक्त निगराकार की खाली जमीन के पूर्वी दिशा में पक्का बरामदा निर्मित करा रखा हैं व निगराकार के पूर्व दिशा की ओर स्थित सभी मकान उत्तर दिशा के आम रास्ते तक बने हुये है। सरासर आपसी द्वैषता को स्पष्ट दर्शाता हैं कि अन्य किसी को पंचायत का नोटिस नहीं देकर मात्र

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निगराकार को ही बिना क्रमांक का नोटिस समाज में प्रतिष्ठा गिराने व द्वैषतावश दुश्मनी निकालने की नियत से दिया गया हैं। ग्राम पंचायत को कतई अधिकार नहीं हैं कि वह निगराकार के वर्षो पूर्व काबिज जगह पर एका–एक कानुनी कार्यवाही कर टैंक ध्वस्त कर कार्यवाही अमल में लाये। उसके उपरान्त भी ग्राम पंचायत द्वारा द्वैषतावश आनन–फानन में बिना क्रमांक का नोटिस दिनांक 22.06.2021 को प्रेषित कर निगराकार को डराया धमकाया जा रहा हैं व पुलिस में झूठी कार्यवाहियां कराने की भी धमकिया दी जा रही हैं व बिना क्रमांक के अवैध नोटिस के आधार पर अनुचित लाभ अर्जित करने का प्रयास किया जा रहा हैं जिसका ग्राम पंचायत को कतई अधिकार नहीं हैं जिससे निगराकार को ग्राम पंचायत के विरूद्व निगरानी पेश करना आवश्यक हुआ हैं। निगराकार द्वारा कोई नव अतिचार कर नव निर्माण नहीं किया जा रहा हैं इसके उपरान्त भी गैर निगराकार द्वारा जो द्वैषतावश जो अवैध अतिक्रमण बताकर नोटिस बाजी की जा रही हैं। उक्त नोटिस बाजी रूकवाने एवं उक्त नोटिस के आधार पर अवैध अतिक्रमण बताकर गैर निगराकार को कोई कार्यवाही नहीं करने हेतु निगरानी पेश करना आवश्यक हुआ हैं। निगराकार उक्त मकान एवं भूमि पर अपने पिता के जीवनकाल से काबिज होकर उपयोग–उपभोग में लेते चले आ रहे हैं जिसका ग्राम पंचायत तुर्किया खुर्द द्वारा विधिवत तरीके से पट्टा जारी करवाने हेतु प्रार्थी ने आवेदन पेश कर रखा हैं लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी निगराकार के आवेदन पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही सम्पादित नहीं की गयी। निगराकार द्वारा कोई नव अतिचार या नव निर्माण उक्त भूखण्ड जमीन पर नहीं किया जा रहा हैं। गैर निगराकार द्वारा मात्र निगराकार को ही अतिक्रमी बताया जाकर बिना क्रमांक का नोटिस दिया गया है प्रार्थी निगराकार के मकान एवं खाली जमीन के सरवेले में ही अन्य मकानात बने हुये हैं प्रार्थी निगरकार ने जहां पानी का टैंक निर्मित कर रखा हैं वहां उस भूमि पर ग्राम पंचायत का किसी प्रकार का कोई हक दखल एवं स्वामित्व नहीं हैं। साथ ही उक्त खाली पड़ी भूमि जिसको नजरी मानचित्र में मार्क ए से सी एफ से ई दर्शा रखा हैं। उक्त टैंक निर्मित भूमि के पूर्वी दिशा में शंकर लाल जी जाट का पक्का बरामदा बरसो पूर्व का निर्मित हैं। उत्तर दिशा में आम रास्ता हैं व पश्चिम दिशा की और आम रास्ता तथा दक्षिण दिशा की ओर प्रार्थी निगराकार स्वयं के पक्के कमरे बने हुये हैं। उक्त टैंक निर्मित भूमि किसी आम रास्ते में नहीं हैं। प्रार्थी निगरकार के स्वामित्व एवं कब्जे की हैं एवं उसके उपरान्त भी मात्र खानापूर्ति कर निगराकार को अवैध अतिक्रमी बताकर जो नोटिस बाजी की जा रही हैं वह अपने आप से ही सव्यय निरस्त योग्य है। निगराकार के दादा स्व. कालुराम जी एवं पिता स्व. मांगीलाल जी द्वारा विधिवत तरीके से भूमि क्रय कर बरसों पूर्व भवन निर्माण किया हैं उक्त भूखण्ड/मकान पर प्रार्थी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निगराकार एवं भाई नन्दराम का मालिकाना हक से काबिज हो मालिकाना हक से मकान व भूखण्ड का उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं, किन्तु गैर निगराकारान सरपंच द्वारा एक मात्र निगराकार को द्वैषतापूर्ण नोटिस जारी किया गया जबकि निगराकार के टैंक निर्मित भूखण्ड के पूर्वी दिशा में शंकर लाल जी जाट का बरसों पुराना बरामदा बना हुआ हैं तथा वह भी मालिकाना हक काबिज है। सरपंच द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर अवैधानिक तरीके से प्रार्थी निगराकार को गलत रूप से अवैध नोटिस दिया है व जो प्रार्थी/निगरकार के विरूद्ध अवैधानिक कार्यवाही की जा रही हैं उसे तुरन्त रोके जाने हेतु निगरानी सादर पेश हैं। निगराकार द्वारा कोई अवैध अतिक्रमण नये रूप से नहीं किया गया है। प्रार्थी/निगराकार के पूर्वजो ने सम्वत् 1978 मे उक्त भूमि क्रय कर उस पर भवन निर्माण करवाया। प्रार्थी निगराकार विरासत में मिली मकान एवं भूमि पर काबिज है। प्रार्थी/निगराकार ने अपने मकान का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत तुरर्किया खुर्द में आवेदन भी पेश कर रखा है व ग्राम पंचायत सरपच द्वारा अवैधानिक नोटिस जारी किये जाने के बाद प्रार्थी/निगराकार ने ग्राम पंचायत में अपने मालिकाना हक से दस्तावेज मय जवाब सहित पेश किये लेकिन गैर निगराकारानगण ने उन्हे गैर निगराकार सरपंच के राजनैतिक प्रभाव के चलते देखने, लेने एवं सुनने से मना कर दिया इसके पश्चात् भी प्रार्थी निगराकार द्वारा ग्राम पंचायत तुरकिया खुर्द के सरपंच से कई बार अनुनय विनय करने पर भी ग्राम पंचायत तुर्किया खुर्द द्वारा ध्यान नहीं देकर अब जो अवैध अतिक्रमण बताकर कार्यवाही की जा रही हैं वह निरस्त की जाने योग्य होने से निगरानी सादर पेश है। प्रार्थी निगराकार के पूर्वजो द्वारा सम्वत् 1978 में वैधानिक रूप से भूमि क्रय कर खरीदशुदा भूमि पर भवन निर्माण करवाया पर गैर निगराकार सरपंच द्वारा जो नोटिस प्रेषित कर अवैध अतिक्रमण बताकर अवैध कार्यवाही की जा रही हैं अवैध कार्यवाही अमल में लायी जा रही है इसे रोके जाना आवश्यक हैं अन्यथा निगराकार प्रार्थी को जो अकथनीय क्षति होगी उसका मूल्यांकन किसी प्रकार सम्भव नहीं होगा। विरूद्ध अवैध कार्यवाही को तुरन्त प्रभाव से जिससे निगराकार रूकवाया जाना आवश्यक है। निगराकार के पूर्वजो द्वारा बरसों पूर्व क्रय की गयी भूमि एवं उस पर निर्मित मकान एवं भूखण्ड पर निगराकार पूर्वजों के समय से काबिज हो उपयोग–उपभोग में लेते चले आ रहे हैं जिससे निगराकार उक्त मकान एवं भूखण्ड का पट्टा जारी करवाने हेतु ग्राम पचायत तुर्किया खुर्द में आवेदन कर चुका है, किन्तु ग्राम पंचायत तुकिर्या खुर्द द्वारा मात्र आश्वासन दिया जाता रहा व अब ग्राम पंचायत तुर्किया खुर्द द्वारा निगराकार के भूखण्ड को अवैध अतिक्रमी बता कार्यवाही कर ध्वस्त करने की नोटिसबाजी की जा रही हैं को तुरन्त प्रभाव से रोका जाना आवश्यक होने से निगरानी पेश हैं। अन्य उजरात वक्त बहस निगरानी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निगराकार अर्ज किये जावेगें। निगरानी श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय आप को अधिकार होने से आप न्यायालय में पेश है। अतः श्रीमान से प्रार्थना हैं की निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम पंचायत तुर्किया खुर्द नोटिस 22.06.2021 को निरस्त फरमाया जावें व ग्राम पंचायत तुर्किया खुर्द द्वारा जौ अवैध विधि विपरित जाकर कार्यवाही की जा रही हैं उसे तुरन्त प्रभाव से रूकवाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे ।

दिनांक 27.07.2021 को प्रार्थी की और से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र बाद जांच पेश हुआ। अधिवक्ता निगराकार कालुराम सोनी हाजिर। हाजिर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी को निगरानी प्रार्थना पत्र के ग्राह्यता के स्तर पर एक तरफा सुना गया।

विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने बहस एडमिशन में बताया कि ग्राम तुरकिया कलां पटवार हल्का तुरकिया कलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ में निगराकार के हक अधिकार एवं कब्जेशुदा पैतृक पुश्तैनी भूखण्ड जिस पर भवन निर्माण करा रखा है जिसके खुली जगह उत्तर दिशा की ओर स्थित है जिस पर निगराकार के पूर्वजों ने बरसो पूर्व टेंक बना रखा है। गैर निगराकार सरपंच द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर आपसी द्वैषतावश दिनांक 22.06.2021 को नोटिस निगराकार को बिना क्रमांक का जारी किया जिस पर ग्राम पंचायत तुरकिया खुर्द के ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं एवं उक्त जमीन पर कब्जा/निर्माण किया जा रहा हैं जो अतिक्रमण की श्रेणी में है। इस सम्बन्ध में अपने प्रमाण पेश करें अन्यथा आपके विरूद्ध कार्यवाही की जावेगीं। उक्त नोटिस का जवाब लेकर निगराकार ग्राम पंचायत तुरकिया खुर्द में गया तो तुरकिया खुर्द ने निगराकार द्वारा दिये गये जवाब एवं प्रार्थी के पुरखों द्वारा उक्त भूखण्ड खरीदी के दस्तावेज को लेने से इन्कार कर दिया। निगराकार द्वारा मौके की स्थिति को स्पष्ट करने के लिये नजरी नक्शा निगरानी के साथ मय पडौसान पेश किया जा रहा हैं जिसे निगरानी का अभिन्न अंग माना जावे। निगराकार के पुर्वजों द्वारा मकान/भूखण्ड के पास खाली पडी जमीन जो निगराकार के मकान से लगती हुई उत्तर दिशा की ओर जिस पर निगराकार द्वारा वर्षो पूर्व टैंक निर्मित कर उपयोग–उपभोग में लिया जा रहा हैं। निगराकार के खुली जगह जहां टैंक निर्मित करा रखा हैं के पूर्व दिशा की और शंकर लाल पिता छोगा जी जाट का मकान स्थित है। शंकर लाल जी द्वारा भी बरसों पूर्व उक्त निगराकार की खाली जमीन के पूर्वी दिशा में पक्का बरामदा निर्मित करा रखा हैं व निगराकार के पूर्व दिशा की ओर स्थित सभी मकान उत्तर दिशा के आम रास्ते तक बने हुये है। सरासर आपसी द्वैषता को स्पष्ट दर्शाता हैं कि अन्य किसी को पंचायत का नोटिस नहीं देकर मात्र निगराकार को ही बिना क्रमांक का नोटिस समाज में प्रतिष्ठा गिराने व द्वैषतावश

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दुश्मनी निकालने की नियत से दिया गया हैं। निगराकार द्वारा कोई नव अतिचार कर नव निर्माण नहीं किया जा रहा हैं इसके उपरान्त भी गैर निगराकार द्वारा जो द्वैषतावश जो अवैध अतिक्रमण बताकर नोटिस बाजी की जा रही हैं। उक्त नोटिस बाजी रूकवाने एवं उक्त नोटिस के आधार पर अवैध अतिक्रमण बताकर गैर निगराकार को कोई कार्यवाही नहीं करने हेतु निगरानी पेश करना आवश्यक हुआ हैं। निगराकार उक्त मकान एवं भूमि पर अपने पिता के जीवनकाल से काबिज होकर उपयोग–उपभोग में लेते चले आ रहे हैं जिसका ग्राम पंचायत तुर्किया खुर्द द्वारा विधिवत तरीके से पट्टा जारी करवाने हेतु प्रार्थी ने आवेदन पेश कर रखा हैं लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी निगराकार के आवेदन पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही सम्पादित नहीं की गयी। प्रार्थी निगराकार के पूर्वजो द्वारा सम्वत् 1978 में वैधानिक रूप से भूमि क्रय कर खरीदशुदा भूमि पर भवन निर्माण करवाया पर गैर निगराकार सरपंच द्वारा जो नोटिस प्रेषित कर अवैध अतिक्रमण बताकर अवैध कार्यवाही की जा रही हैं अवैध कार्यवाही अमल में लायी जा रही है इसे रोके जाना आवश्यक हैं अन्यथा निगराकार प्रार्थी को जो अकथनीय क्षति होगी उसका मूल्यांकन किसी प्रकार सम्भव नहीं होगा। विरूद्व अवैध कार्यवाही को तुरन्त प्रभाव से जिससे निगराकार रूकवाया जाना आवश्यक है। निगराकार के पूर्वजो द्वारा बरसों पूर्व क्रय की गयी भूमि एवं उस पर निर्मित मकान एवं भूखण्ड पर निगराकार पूर्वजों के समय से काबिज हो उपयोग–उपभोग में लेते चले आ रहे हैं जिससे निगराकार उक्त मकान एवं भूखण्ड का पट्टा जारी करवाने हेतु ग्राम पचायत तुर्किया खुर्द में आवेदन कर चुका है, किन्तु ग्राम पंचायत तुकिर्या खुर्द द्वारा मात्र आश्वासन दिया जाता रहा व अब ग्राम पंचायत तुर्किया खुर्द द्वारा निगराकार के भूखण्ड को अवैध अतिक्रमी बता कार्यवाही कर ध्वस्त करने की नोटिसबाजी की जा रही हैं को तुरन्त प्रभाव से रोका जाना आवश्यक होने से निगरानी पेश हैं। जिसे दर्ज रजिस्टर किये जाने का आदेश प्रदान कराया जाना न्यायोचित है। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने अपनी बहस एडमिशन समाप्त की।

हमने पत्रावली का आद्यौपांत बागौर अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता निगराकार द्वारा की गई बहस एडमिशन का गहनता पूर्वक चिंतन–मनन किया। निगराकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहनता पूर्वक परिशीलन किया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत तुर्किया खुर्द द्वारा जारी नोटिस क्रमांक निल दिनांक 22.06.2021 का अवलोकन किया। अधिवक्ता श्री कैलाशचन्द्र सेरसिया द्वारा प्रेषित पंजीकृत सूचना पत्र अन्तर्गत धारा 109 पंचायतीराज अधिनियम का अवलोकन किया।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार द्वारा की गई बहस एडमिशन का मनन किया। हमने विधि का अवलोकन किया। पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 का गहनता पूर्वक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

परिशीलन किया। पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 में प्रावधान प्रावधित किये गये है

97. Power of revision and review by Government.- (1) The State Government may, either of its own motion or on an application from any person interested, call for and examine the record of a Panchayati Raj Institution or of a Standing Committee or Sub-Committee thereof in respect of any proceedings to satisfy itself as to the correctness, legality or propriety of any decision or order passed therein or as to the regularity of such proceedings and, if in any case, it appears to the State Government that any such decision or order be modified, annulled, reversed or remitted for reconsideration, it may pass order accordingly:

Provided that the State Government shall not pass any order prejudicial to any partyunless such party has a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(2) The State Government may stay the execution of any such decision or order prejudical to any party, pending the exercise of its powers under sub-section (1) in respect thereof.

(3) The State Government may, of its own motion or on an application received from any reason interested, at any time within ninety days of the passing of an order under Subsec.

(1), review any such order if it was passed by it under any mistake, whether of fact or of law or in ignorance of any material fact. The provisions contained in the proviso to Sub-sec. (1) and in Sec. (2) shall apply to a proceeding under this sub-section.

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अनुसार राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्व व्यक्ति के आवेदन पर किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी समिति की किन्ही भी कार्यवाहियों के संबंध में निर्णय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता, औचित्य एवं नियमित होने की दृष्टि से अभिलेख मंगाने, परीक्षण करने एवं ऐसे आदेश/निर्णय/कार्यवाही प्रस्ताव को संशोधित करने, उलट दिये जाने, उपांतरित किये जाने या पुनः विचारार्थ प्रतिप्रेषित किये जाने की अधिकारिता रखती है। राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ4(10)पराविं/विधि/संशोधन/2004/3690 दिनांक 13.12.2004 के अनुसार उक्त धारा 97 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रत्यायोजन जिला कलक्टर को पुर्नस्थापित कर दिया गया है। प्रावधानानुसार अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश/निर्णय के सही होने, उसकी विधिकता, औचित्य एवं नियमित होने की दृष्टि से अभिलेख मंगाने, परीक्षण करने सही होने, उसकी विधिकता, औचित्य एवं नियमित होने की दृष्टि से अभिलेख मंगाने, परीक्षण करने की क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ ग्राम पंचायत तुर्किया खुर्द द्वारा निगराकार को मात्र नोटिस जारी किया गया है एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

है। इसमें यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत तुर्किया खुर्द निगराकार के विरूद्ध किसी भी प्रकार से कोई आदेश पारित नहीं किया गया है अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा केवल मात्र निगराकार नोटिस जारी किया गया है। निगराकार द्वारा कथन किया गया है कि निगराकार द्वारा नोटिस का जवाब लेकर निगराकार ग्राम पंचायत तुरकिया खुर्द में गया तो तुरकिया खुर्द ने निगराकार द्वारा दिये गये जवाब एवं प्रार्थी के पुरखों द्वारा उक्त भूखण्ड खरीदी के दस्तावेज को लेने से इन्कार कर दिया, किन्तु निगराकार स्वयं नोटिस का जवाब पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में उक्त तथ्य संशयपूर्ण हो जाता है, ऐसी स्थिति में निगराकार अपने निगरानी प्रार्थना पत्र में यह साबित कराये जाने में असफल रहा है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 प्रावधानों के तहत सुसंगत हो, ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्रएडमिशन स्तर पर ही सारहीन होना पाया जाता है, इसके साथ ही अधीनस्थ ग्राम पंचायत तुर्किया खुर्द द्वारा निगराकार लालाराम पिता मांगीलाल जाति सेन निवासी तुरकिया कलां ग्राम पंचायत तुर्किया खुर्द को अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने बाबत् नोटिस जारी किये जाने में किसी भी प्रकार की विधिक भूल/त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है, जिससे अधीनस्थ ग्राम पंचायत तुर्किया खुर्द द्वारा निगराकार को जारी नोटिस दिनांक 22.06.2021 में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 को अदम साक्ष्य एवं विधि के प्रावधानों के अनुसरण में सुसंगत नहीं पाये जाने पर एवं गुणावगुण पर सारहीन होने से ग्राह्यता(एडमिशन) के स्तर पर ही खारीज किया जाता है। निगरानी प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जावें। तद्नुसार अभिलेख में अंकन किया जावें। निर्णय को ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड किया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>27.07.2021</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
अतिरिक्त कलक्टर,
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official